

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मांग संख्या 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	2588.10	30.43	2618.53	3170.00	115.00	3285.00	2845.06	72.76	2917.82	3576.27	145.38	3721.65
<i>वसूलियां</i>	-182.45	...	-182.45	-250.00	...	-250.00	-431.82	...	-431.82	-632.25	...	-632.25
<i>प्राप्तियां</i>	-3.40	...	-3.40	-5.00	...	-5.00	-8.00	...	-8.00	-10.00	...	-10.00
<b>निवल</b>	<b>2402.25</b>	<b>30.43</b>	<b>2432.68</b>	<b>2915.00</b>	<b>115.00</b>	<b>3030.00</b>	<b>2405.24</b>	<b>72.76</b>	<b>2478.00</b>	<b>2934.02</b>	<b>145.38</b>	<b>3079.40</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	140.80	...	140.80	168.74	...	168.74	170.60	...	170.60	353.33	2.11	355.44
2. <i>संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय</i>												
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	36.14	0.13	36.27	48.50	1.50	50.00	45.00	1.10	46.10	44.00	3.00	47.00
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	5.22	...	5.22	8.30	...	8.30	7.00	...	7.00	7.50	...	7.50
2.03 भारतीय वन सर्वेक्षण	32.45	0.15	32.60	33.50	0.50	34.00	40.00	1.50	41.50	36.17	6.83	43.00
2.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	36.20	6.85	43.05	43.50	5.00	48.50	40.00	5.00	45.00	41.95	10.05	52.00
2.05 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	12.88	9.21	22.09	15.50	18.00	33.50	16.00	14.00	30.00	17.00	21.00	38.00
2.06 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	10.67	...	10.67	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	13.35	0.15	13.50
2.07 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	69.58	4.75	74.33	79.00	6.00	85.00	80.00	7.00	87.00	84.08	51.92	136.00
2.08 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	70.69	6.26	76.95	78.75	9.00	87.75	82.00	10.00	92.00	86.90	17.10	104.00
2.09 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	14.52	0.43	14.95	15.00	7.00	22.00	15.00	6.00	21.00	14.85	5.15	20.00
2.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	39.39	...	39.39	45.00	61.00	106.00	40.10	23.16	63.26	39.00	21.00	60.00
<i>जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय</i>	<i>327.74</i>	<i>27.78</i>	<i>355.52</i>	<i>379.55</i>	<i>108.00</i>	<i>487.55</i>	<i>377.60</i>	<i>67.76</i>	<i>445.36</i>	<i>384.80</i>	<i>136.20</i>	<i>521.00</i>
3. <i>राष्ट्रीय प्राणी उद्यान</i>												
3.01 सकल बजटीय सहायता	28.24	2.65	30.89	27.50	7.00	34.50	28.00	5.00	33.00	29.93	7.07	37.00
3.02 अल्प गेट प्राप्तियां	-3.40	...	-3.40	-5.00	...	-5.00	-8.00	...	-8.00	-10.00	...	-10.00
<i>निवल</i>	<i>24.84</i>	<i>2.65</i>	<i>27.49</i>	<i>22.50</i>	<i>7.00</i>	<i>29.50</i>	<i>20.00</i>	<i>5.00</i>	<i>25.00</i>	<i>19.93</i>	<i>7.07</i>	<i>27.00</i>
4. <i>राष्ट्रीय प्राधिकरण</i>												
4.01 सकल बजटीय सहायता	173.89	...	173.89	250.00	...	250.00	243.82	...	243.82	463.25	...	463.25
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति बनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	-173.77	...	-173.77	-250.00	...	-250.00	-243.82	...	-243.82	-463.25	...	-463.25

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निवल</i>	0.12	...	0.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>493.50</b>	<b>30.43</b>	<b>523.93</b>	<b>570.79</b>	<b>115.00</b>	<b>685.79</b>	<b>568.20</b>	<b>72.76</b>	<b>640.96</b>	<b>758.06</b>	<b>145.38</b>	<b>903.44</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण</b>												
5. <i>बानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</i>												
5.01 कार्यक्रम घटक	4.96	...	4.96	8.62	...	8.62	6.57	...	6.57	...	...	...
6. पारिस्थितिकी कार्य बल	110.00	...	110.00	70.00	...	70.00	80.00	...	80.00	...	...	...
<b>जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण</b>	<b>114.96</b>	<b>...</b>	<b>114.96</b>	<b>78.62</b>	<b>...</b>	<b>78.62</b>	<b>86.57</b>	<b>...</b>	<b>86.57</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
7. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	92.86	...	92.86
<b>राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम</b>												
8. <i>राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)</i>												
8.01 कार्यक्रम घटक	27.79	...	27.79	25.00	...	25.00	4.00	...	4.00	12.50	...	12.50
8.02 ईएपी घटक	...	...	...	170.00	...	170.00	...	...	...	...	...	...
<i>जोड़- राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)</i>	<i>27.79</i>	<i>...</i>	<i>27.79</i>	<i>195.00</i>	<i>...</i>	<i>195.00</i>	<i>4.00</i>	<i>...</i>	<i>4.00</i>	<i>12.50</i>	<i>...</i>	<i>12.50</i>
<b>पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और संधारणीय विकास</b>												
9. <i>परिसंकटमय पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)</i>												
9.01 कार्यक्रम घटक	4.90	...	4.90	4.50	...	4.50	4.00	...	4.00	...	...	...
10. जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	24.91	...	24.91	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	...	...	...
11. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	59.78	...	59.78	60.00	...	60.00	34.00	...	34.00	...	...	...
12. हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन	35.50	...	35.50	48.00	...	48.00	30.00	...	30.00	...	...	...
<b>जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और संधारणीय विकास</b>	<b>125.09</b>	<b>...</b>	<b>125.09</b>	<b>142.50</b>	<b>...</b>	<b>142.50</b>	<b>93.00</b>	<b>...</b>	<b>93.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली</b>												
13. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	54.54	...	54.54	58.70	...	58.70	12.20	...	12.20	...	...	...
14. पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	27.16	...	27.16	23.50	...	23.50	22.00	...	22.00	...	...	...
15. संरक्षण और विकास के लिए आर एंड डी	6.21	...	6.21	4.75	...	4.75	2.50	...	2.50	...	...	...
<b>जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली</b>	<b>87.91</b>	<b>...</b>	<b>87.91</b>	<b>86.95</b>	<b>...</b>	<b>86.95</b>	<b>36.70</b>	<b>...</b>	<b>36.70</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
16. पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	87.40	...	87.40
17. प्रदूषण नियंत्रण	406.70	...	406.70	460.00	...	460.00	600.00	...	600.00	756.00	...	756.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>762.45</b>	<b>...</b>	<b>762.45</b>	<b>963.07</b>	<b>...</b>	<b>963.07</b>	<b>820.27</b>	<b>...</b>	<b>820.27</b>	<b>948.76</b>	<b>...</b>	<b>948.76</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
18. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	115.73	...	115.73	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	105.00	...	105.00
19. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
20. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	15.52	...	15.52	17.50	...	17.50	15.50	...	15.50	16.40	...	16.40
21. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण	9.86	...	9.86	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
22. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	19.50	...	19.50	17.00	...	17.00	16.00	...	16.00	17.00	...	17.00
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>171.61</b>	...	<b>171.61</b>	<b>154.50</b>	...	<b>154.50</b>	<b>150.50</b>	...	<b>150.50</b>	<b>159.40</b>	...	<b>159.40</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
23. जीव्री पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	24.00	...	24.00	22.00	...	22.00	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00
24. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	230.00	...	230.00	210.00	...	210.00	227.64	...	227.64	230.00	...	230.00
25. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	27.65	...	27.65	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	17.50	...	17.50
26. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	8.25	...	8.25	7.45	...	7.45	7.45	...	7.45	...	...	...
27. भारतीय वन्यजीव संस्थान	25.50	...	25.50	23.00	...	23.00	24.00	...	24.00	36.50	...	36.50
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>315.40</b>	...	<b>315.40</b>	<b>287.45</b>	...	<b>287.45</b>	<b>308.09</b>	...	<b>308.09</b>	<b>309.00</b>	...	<b>309.00</b>
<b>अन्य</b>												
28. सलीम अली पक्षी विज्ञान और राष्ट्रीय इतिहास केंद्र (एसएसीओएन)	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	...	...	...
29. वास्तविक वसूली	-8.68	...	-8.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1.82</b>	...	<b>1.82</b>	<b>9.00</b>	...	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	...	<b>9.00</b>	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>488.83</b>	...	<b>488.83</b>	<b>450.95</b>	...	<b>450.95</b>	<b>467.59</b>	...	<b>467.59</b>	<b>468.40</b>	...	<b>468.40</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव</b>												
30. <i>राष्ट्रीय हरित भारत मिशन</i>												
30.01 सांवेरेन ग्रीन फंड को अंतरण	...	...	...	...	...	...	188.00	...	188.00	169.00	...	169.00
30.02 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	204.51	...	204.51	300.00	...	300.00	170.50	...	170.50	167.28	...	167.28
30.03 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	14.49	...	14.49	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50	1.72	...	1.72
30.04 सांवेरेन ग्रीन फंड से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-188.00	...	-188.00	-169.00	...	-169.00
30.05 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	34.81	...	34.81	44.19	...	44.19	26.18	...	26.18	51.00	...	51.00
<b>जोड़- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन</b>	<b>253.81</b>	...	<b>253.81</b>	<b>361.69</b>	...	<b>361.69</b>	<b>214.18</b>	...	<b>214.18</b>	<b>220.00</b>	...	<b>220.00</b>
31. <i>वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास</i>												
31.01 बाघ परियोजना	219.93	...	219.93	300.00	...	300.00	188.00	...	188.00	...	...	...
31.02 हाथी परियोजना	30.20	...	30.20	35.00	...	35.00	32.00	...	32.00	...	...	...
31.03 वन्य जीव आवासों का विकास	92.75	...	92.75	132.50	...	132.50	60.00	...	60.00	135.00	...	135.00
31.04 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	15.00	...	15.00	42.50	...	42.50	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
31.05 बाघ और हाथी परियोजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	331.80	...	331.80
<b>जोड़- वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास</b>	<b>357.88</b>	...	<b>357.88</b>	<b>510.00</b>	...	<b>510.00</b>	<b>305.00</b>	...	<b>305.00</b>	<b>491.80</b>	...	<b>491.80</b>
32. <i>प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण</i>												
32.01 जैव विविधता संरक्षण	3.12	...	3.12	8.50	...	8.50	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
32.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	42.06	...	42.06	48.40	...	48.40	23.40	...	23.40	38.40	...	38.40
32.03 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण (ईएपी घटक)	0.60	...	0.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
जोड़- राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	45.78	...	45.78	58.50	...	58.50	30.00	...	30.00	47.00	...	47.00
<b>जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव</b>	<b>657.47</b>	...	<b>657.47</b>	<b>930.19</b>	...	<b>930.19</b>	<b>549.18</b>	...	<b>549.18</b>	<b>758.80</b>	...	<b>758.80</b>
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>657.47</b>	...	<b>657.47</b>	<b>930.19</b>	...	<b>930.19</b>	<b>549.18</b>	...	<b>549.18</b>	<b>758.80</b>	...	<b>758.80</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2402.25</b>	<b>30.43</b>	<b>2432.68</b>	<b>2915.00</b>	<b>115.00</b>	<b>3030.00</b>	<b>2405.24</b>	<b>72.76</b>	<b>2478.00</b>	<b>2934.02</b>	<b>145.38</b>	<b>3079.40</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. वानिकी और वन्य जीवन	632.01	...	632.01	594.00	...	594.00	608.86	...	608.86	591.63	...	591.63
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1025.95	...	1025.95	1215.75	...	1215.75	1063.63	...	1063.63	1180.63	...	1180.63
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	140.80	...	140.80	168.74	...	168.74	170.60	...	170.60	353.33	...	353.33
4. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	...	18.99	18.99	...	32.00	32.00	...	26.60	26.60	...	48.10	48.10
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.44	11.44	...	83.00	83.00	...	46.16	46.16	...	95.17	95.17
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.11	2.11
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1798.76</b>	<b>30.43</b>	<b>1829.19</b>	<b>1978.49</b>	<b>115.00</b>	<b>2093.49</b>	<b>1843.09</b>	<b>72.76</b>	<b>1915.85</b>	<b>2125.59</b>	<b>145.38</b>	<b>2270.97</b>
<b>अन्य</b>												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	193.00	...	193.00	141.82	...	141.82	186.00	...	186.00
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	603.49	...	603.49	742.06	...	742.06	418.23	...	418.23	619.43	...	619.43
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	1.45	...	1.45	2.10	...	2.10	3.00	...	3.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>603.49</b>	...	<b>603.49</b>	<b>936.51</b>	...	<b>936.51</b>	<b>562.15</b>	...	<b>562.15</b>	<b>808.43</b>	...	<b>808.43</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2402.25</b>	<b>30.43</b>	<b>2432.68</b>	<b>2915.00</b>	<b>115.00</b>	<b>3030.00</b>	<b>2405.24</b>	<b>72.76</b>	<b>2478.00</b>	<b>2934.02</b>	<b>145.38</b>	<b>3079.40</b>

1 - 4. केंद्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित सचिवालय व्यय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है। अन्य स्थापना संबंधी व्यय प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन, मीडिया, प्रचार और सूचना शामिल हैं। चार केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामतः राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन, खतरनाक पदार्थ प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को गैर-योजना में अन्तर्गत किया जाता है और सचिवालय के अधीन रखा जाता है। आईडीडब्ल्यूएच के सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट- प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को भी सचिवालय के अधीन रखा गया है।

7. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-स्कीमें - (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना रक्षा मंत्रालय के माध्यम से दूरस्थ स्थान या गंभीर गिरावट के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा का सुनिश्चित करना होता है और बहुनीय विकास को बढ़ावा देना होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय उत्तरदायी है। तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की जाती है।

9- 12. पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास: अंब्रेला योजना जो खतरनाक पदार्थ प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि और हिमालयी अध्ययन के राष्ट्रीय मिशन पर कार्यक्रमों/परियोजनाओं का समर्थन करती है, को गैर-योजना में स्थानांतरित किया जाता है और सचिवालय के अधीन रखा गया है।

16. पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर योजना निर्णय समर्थन प्रणाली को पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास के रूप में नया रूप दिया गया है: यह योजना जागरूकता पैदा करती है और प्रदर्शनियों

और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करती है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरणीय सूचना का संग्रह, बड़े हितधारकों के लिए सूचना का प्रसार शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के प्रावधानों में स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।

17. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को वित्तपोषण शामिल है।

18-21. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय में चार निकाय हैं - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)।

22. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: एक नवनिर्मित सांविधिक और विनियामक निकाय। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य करता है।

23- 27. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामतः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और वृहतीय विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

28. **सलीम अली पक्षी विज्ञान और राष्ट्रीय इतिहास केंद्र (एसएसीओएन):** ऑर्निथोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्राकृतिक इतिहास के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए एक पंजीकृत समाज। एसएसीओएन का भारतीय वन्यजीव संस्थान, स्वायत्त निकायों, एमओईएफ एंड सीसी के साथ विलय हो गया है। एसएसीओएन के लिए बजट प्रावधान डब्ल्यूआईआई के तहत रखा गया है।

30. **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन:** वन क्षेत्र को बढ़ाने और मौजूदा वन भूमि की रक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजना योजनाएं हैं, हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। जीआईएम - एनएपी के लिए धन सॉवरेन ग्रीन फंड से मिलेगा।

31. **वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास:** मंत्रालय के पास देश के वन्यजीवों की रक्षा के लिए दो मुख्य योजनाएं हैं, अर्थात् प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी और वन्यजीव आवासों का विकास। पहले प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी 2 अलग-अलग योजनाएं थीं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी के रूप में मिला दिया गया है।

32. **राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-मंडल, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।